भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

सं0 310–3(1)/2003–इको.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) इस आदेश का नाम "दूरसंचार टैरिफ (पैंतीसवां संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 2) कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खण्ड 3 में 'अनुसूची 1 से' शब्द तथा अंक के बाद नं0 'IX' के स्थान पर 'X' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस आदेश में अनुलग्नक के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार

(एम0 कन्नन)

सलाहकार (आर्थिक)

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में 9 अनुसूचियां निहित हैं (I से IX)। 9 मार्च, 1999 को अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश की अनुसूची IV का शीर्षक "लीज्ड सर्किट" था। प्राधिकरण ने 11.03.2005 को टीटीओ, 1999 में चौंतीसवां संशोधन जारी करते हुए मौजूदा अनुसूची IV को "घरेलू लीज्ड सर्किट" के रूप में पुनर्नामित किया है और अनुसूची X अर्थात् इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी)–(हॉफ सर्किट), इसमें जोड़ा है। वर्तमान संशोधन टीटीओ के भाग III के अन्तर्गत खण्ड 3 में इसी के परिणामस्वरूप परिवर्तन करने की मंशा से जारी किया जा रहा है।